<u>न्यायालय :— शिरीष शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना म0प्र0</u>

Registration No.	RCT/858/2023
Filing No.	RCT/4788/2023
C.N.R. No.	MP19010065632023
Filing Date	19-06-2023

प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध तथा पुलिस थाना का विवरण

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र कोटर जिला सतना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती जागृति निरंजन सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	1. शिवम सरोज उर्फ पोनू तनय स्व. श्री सहदेव सरोज, आयु 25 वर्ष निवासी— पनगढ, थाना केशकता, जिला जौनपुर, उ.प्र. 2. अभिषेक निषाद तनय श्री विनोद निषाद, आयु 22 वर्ष निवासी— बंबाबन, थाना कैराकत, जिला जौनपुर म.प्र. 3. नीलेश यादव, तनय श्री जनार्दन यादव, आयु 22 वर्ष, निवासी— ग्राम सहाबद्धीन, थाना कैराकत, जिला जौनपुर उ.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार पटेल, अधिवक्ता
अभियुक्त	4. दीपनारायण पाण्डेय, तनय श्री आदित्य पाण्डेय, आयु 29 वर्ष, निवासी— ग्राम सोहास, थाना कोटर, जिला सतना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रमाकांत त्रिपाठी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, सतना

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:20:05 +0530

अभियुक्त	5. मनीष सिंह बरगाही, तनय श्री अमरजीत सिंह बरगाही, आयु 25 वर्ष, निवासी– ग्राम सोनवर्षा, थाना कोटर, जिला सतना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सुरेन्द्र द्विवेदी, अधिवक्ता
अभियुक्त	6. गौरव सिंह बरगाही, तनय श्री सतीष सिंह बरगाही, आयु 24 वर्ष, निवासी– ग्राम रैगांव, थाना सिंहपुर, जिला सतना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रदीप सिंह, अधिवक्ता
अभियुक्त	7. राहुल जयसवाल, तनय श्री बद्री जयसवाल, आयु 21 वर्ष, निवासी– मथुरा बस्ती, दुर्गा नगर वार्ड नंबर 19 थाना कोलगवां, जिला सतना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विनय रावत, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	05.03.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	07.03.2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति की तिथि	19.06.2023
आरोप विरचना की तिथि	19.07.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	28.07.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	27.01.2024
निर्णय की तिथि	31.01.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं

SHIRISH
SHUKLA
Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:20:18 +0530

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	शिवम सरोज उर्फ पोनू	12.06.2023	निरंक	भा.दं.सं. की धारा 392, 201 एवं 120 ख	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 12.06.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 233 दिन
2	अभिषेक निषाद	12.06.2023	निरंक	भा.दं.सं. की धारा 392, 201 एवं 120 ख	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 12.06.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 233 दिन
3	नीलेश यादव	24.03.2023	निरंक	भा.दं.सं. की धारा 392, 201 एवं 120 ख	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 24.03.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 313 दिन
4	दीप नारायण पाण्डेय	22.03.2023	निरंक	भा.दं.सं. की धारा 392, 201 एवं 120 ख	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 22.03.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 315 दिन
5	मनीष सिंह बरगाही	22.03.2023	निरंक	भा.दं.सं. की धारा 392, 201	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 22.03.2023 से

SHIRISH SHUKLA
Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:20:32 +0530

				एवं 120 ख			दिनांक 31.01.2024 तक कुल 315 दिन
6	गौरव सिंह बरगाही	22.03.2023	निरंक	भा.दं.सं. की धारा 392, 201 एवं 120 ख	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 22.03.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 315 दिन
7	राहुल जयसवाल	22.03.2023	निरंक	भा.दं.सं. की धारा 392, 201 एवं 120 ख	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 22.03.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 315 दिन

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	संदीप कुशवाहा	फरियादी साक्षी
अ.सा.2	वीरेन्द्र कुशवाहा	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.3	चंदन कुशवाहा	अन्य साक्षी
अ.सा.4	दीपक कुशवाहा	अन्य साक्षी
अ.सा.5	मिथलेश द्विवेदी	पुलिस साक्षी
अ.सा.6	विपिन द्विवेदी	पुलिस साक्षी
अ.सा.7	वीरेन्द्र चौबे	पुलिस साक्षी
अ.सा.8	मुकेश कुमार मांझी	पुलिस साक्षी
अ.सा.9	रवीन्द्र द्विवेदी	पुलिस साक्षी
बचाव साक्षी	निरंक	निरंक
न्यायालयीन साक्षी	निरंक	निरंक

SHIRISH SHUKLA
Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:20:45 +0530

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रपी 1／अ.सा.1	थाना कोटर को दिया गया आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2023
2	प्रपी 2／अ.सा.1	घटनास्थल का नक्शामौका
3	प्रपी 3	निरंक
4	प्रपी 4／अ.सा.5	अभियुक्त नीलेश यादव उर्फ नीलू का मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
5	प्रपी 5／अ.सा.6	अभियुक्त अभिषेक निषाद का मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
6	प्रपी 6／अ.सा.6	अभियुक्त दीपनारायण पाण्डेय का मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
7	प्रपी 7／अ.सा.6	अभियुक्त मनीष सिंह बरगाही का मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
8	प्रपी 8／अ.सा.6	अभियुक्त शिवम सरोज उर्फ पोनू का मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
9	प्रपी 9／अ.सा.6	अभियुक्त गौरव सिंह बरगाही का मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
10	प्रपी 10／अ.सा.6	अभियुक्त राहुल जैसवाल का मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
11	प्रपी 11／अ.सा.6	संपत्ति जप्ती पत्रक
12	प्रपी 12／अ.सा.8	अभियुक्त दीपनारायण पाण्डेय का गिरफ्तारी पत्रक
13	प्रपी 13／अ.सा.8	अभियुक्त राहुल जयसवाल का गिरफ्तारी पत्रक
14	प्रपी 14／अ.सा.8	प्रथम सूचना रिपोर्ट
15	प्रपी 15／अ.सा.8	अभियुक्त गौरव सिंह बरगाही का गिरफ्तारी पत्रक

SHIRISH
SHUKLA
Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:20:56 +0530

16	प्रपी 16/अ.सा.8	अभियुक्त अभिषेक निषाद का गिरफ्तारी पत्रक
17	प्रपी 17/अ.सा.8	अभियुक्त शिवम सरोज उर्फ पोनू का गिरफ्तारी पत्रक
18	प्रपी 18/अ.सा.8	अभियुक्त नीलेश यादव का गिरफ्तारी पत्रक
19	प्रपी 19/अ.सा.8	अभियुक्त मनीष सिंह बरगाही का गिरफ्तारी पत्रक
20	प्रपी 20/अ.सा.8	अभियुक्तगण के गिरफ्तारी की अनुमति

प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रडी 1/अ.सा.1	साक्षी संदीप कुशवाहा का पुलिस कथन अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.

आवश्यक वस्तुएं

	निरंक	निरंक

आरक्षी केन्द्र कोटर, जिला सतना के अपराध क्रमांक 46/2023, अपराध अंतर्गत धारा 392, 201 एवं 120–बी भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण।

<u>// निर्णय //</u>

(आज दिनांक 31.01.2024 को घोषित)

01. अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता, 1860, अत्रपश्चात भा.दं.सं. से संबोधित, की धारा 392, 201 एवं 120 बी का इस आशय का आरोप है कि उनके द्वारा दिनांक 05.03.2023 को आरक्षी केन्द्र कोटर, जिला सतना के अंतर्गत स्थित ग्राम अबेर के पेट्रोल पम्प से पहले सतना–सेमरिया रोड पर स्थित सुनसान स्थल पर, सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पूर्व रात्रि 20:30 बजे फरियादी संदीप कुशवाहा के आधिपत्य से मोटरसाईकल क्रमांक एमपी–19–एनबी–6492 को लूट लिया गया तथा उक्त लूटी गई मोटरसाईकल की नंबर प्लेट बदलकर साक्ष्य का विलोप किया गया, जिसके मिथ्या होने

SHIRISH SHUKLA
Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:21:06 +0530

का उनको ज्ञान अथवा विश्वास था तथा धारा 392 भा.दं.सं. के अपराध को सुकर बनाने के आशय से इस ज्ञान के साथ, कि उनके द्वारा लूट कारित किये जाने को सुकर बनाने के लिए आपराधिक षड़यंत्र का अपराध कारित किया गया है।

02. अभियोजन कथानक का सार यह है कि फरियादी संदीप कुशवाहा के द्वारा आरक्षी केन्द्र कोटर के समक्ष इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि घटना दिनांक 05.03.2023 को वह तथा वीरेन्द्र कुशवाहा पल्सर मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 से सतना–सेमरिया मार्ग पर जा रहे थे। ग्राम अबेर में स्थित पेट्रोल पम्प के पास पहुंचते ही पीछे की ओर से तीन व्यक्ति मोटरसाईकल पर आये और बिरसिंहपुर का रास्ता पूंछने लगे, तब फरियादी ने अपनी मोटरसाईकल की गति कम की तो उक्त व्यक्ति अपनी मोटरसाईकल फरियादी के सामने अड़ाकर मोबाईल को छीनने का प्रयास करने लगे। तत्पश्चात उक्त व्यक्तियों में से एक के द्वारा फरियादी को कट्टा दिखाकर डराया गया और उसकी मोटरसाईकल लूट ली गई। फरियादी की उपरोक्त सूचना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 को जप्त किया गया। अभियुक्तगण का किसी अन्य प्रकरण में अभिरक्षा में होने के कारण उन्हें न्यायालय की अनुमति के पश्चात अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया तथा अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अपने अभिवाक में अभियुक्तगण के द्वारा आरोपित अपराध का प्रत्याख्यान किया गया तथा विचारण की मांग की गई। दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन किये गये परीक्षण में अभियुक्त शिवम सरोज उर्फ पोनू ने यह व्यक्त किया है कि ''उसे इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। उसका गांव में कुछ लोगों से विवाद हो गया था, उसके गांव के इन्हीं लोगों के द्वारा पुलिस से मिलकर उसे रंजिशन इस अपराध में षड़यंत्रकर फंसाया गया है। इस अपराध से उसका कोई लेनादेना नही है। वह निर्दोष है।'' अभियुक्त अभिषेक निषाद के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि ''इस प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। उसके गांव में कुछ लोगों से विवाद चल रहा है, इसलिए उनके द्वारा पुलिस के साथ मिलकर झूठा फंसाया गया है, जबकि वह इस अपराध में सम्मिलित नही था। वह निर्दोष है।'' अभियुक्त दीपनारायण पाण्डेय ने अपनी प्रतिरक्षा में

SHIRISH SHUKLA
Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:21:18 +0530

यह व्यक्त किया है कि ''वह निर्दोष है। पुलिस थाना कोटर द्वारा उसके विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया है। उसने कोई अपराध नही किया है। थाना कोतवाली के झूठे अपराध में वह जेल में बंद था, जिस कारण पुलिस थाना कोटर के द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है।'' अभियुक्त मनीष सिंह बरगाही ने यह व्यक्त किया है कि ''वह निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। कथित घटना दिनांक को वह अपने घर रैगांव में था। अन्य अभियुक्तगण में से वह राहुल जैसवाल को जानता है, शेष किसी भी अभियुक्त से उसका परिचय नही है और न ही इससे पूर्व में कभी मिला है। गौरव बरगाही उसके गांव का ही है, इसलिए उसे जानता है।'' अभियुक्त गौरव सिंह बरगाही ने यह व्यक्त किया है कि ''वह निर्दोष है। पुलिस थाना कोटर द्वारा उसके विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया है। उसने कोई अपराध नही किया है। पुलिस थाना कोतवाली के झूठे अपराध में वह जेल में बंद था, जिस कारण पुलिस थाना कोटर द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है।''

04. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन किये गये परीक्षण में अभियुक्त राहुल जैसवाल ने यह व्यक्त किया है कि ''वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। वह घ टनास्थल पर मौजूद नही था और उसके द्वारा कोई घटना कारित नही की गई है। पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा किया गया है, क्योंकि उसके द्वारा कई बार पुलिस के विरूद्ध शिकायत की गई थी। उसने और उसके भाईयों के द्वारा न्यायालय में थाना कोलगवां के विरूद्ध मारपीट की शिकायत की थी, जिसे न्यायालय ने सही पाया था। जिसके कारण कोलगवां पुलिस अत्यधिक नाराज रहती है। कोई न कोई केस अन्य घटना में झूठा आरोपी बनाकर मुकदमा बनाया जाता है।'' अभियुक्त निलेश यादव उर्फ नीलू ने यह व्यक्त किया है कि ''वह इस प्रकरण में निर्दोष है। उसके गांव में उससे कुछ लोगों के विवाद के चलते उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस से मिलकर रंजिशन उसे षड़यंत्र कर इस अपराध में झूठा सम्मिलित किया गया है, जबकि वह बाहर, घर–गांव में मजदूर कर अपने परिवार का लालन पालन करता है। उसका इस प्रकरण से कोई लेना देना नही है। उसे झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है।'' अभियुक्तगण के द्वारा बचाव साक्ष्य नहीं दिया गया है।

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:21:29 +0530

05. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु उत्पन्न होते है–

1. क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 05.03.2023 को आरक्षी केन्द्र कोटर, जिला सतना के अंतर्गत स्थित ग्राम अबेर के पेट्रोल पम्प से पहले सतना–सेमरिया रोड पर स्थित सुनसान स्थल पर, सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पूर्व रात्रि 20:30 बजे फरियादी संदीप कुशवाहा के आधिपत्य से मोटरसाईकल क्रमांक एमपी–19–एनबी–6492 को लूट लिया गया था?

2. क्या अभियुक्तगण को उक्त लूटी गई मोटरसाईकल की नंबर प्लेट बदलकर साक्ष्य का विलोप किया गया, जिसके मिथ्या होने का उनको ज्ञान अथवा विश्वास था?

3. क्या अभियुक्तगण के द्वारा धारा 392 भा.दं.सं. के अपराध को सुकर बनाने के आशय से इस ज्ञान के साथ, कि उनके द्वारा लूट कारित किये जाने को सुकर बनाने के लिए आपराधिक षड़यंत्र का अपराध कारित किया गया है?

4. दोषसिद्धी एवं दण्डादेश यदि कोई हो तो?

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 –

06. फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 का अभिकथन है कि वह अभियुक्तगण को नही जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 28.07.2023 से लगभग 4 माह पूर्व रात्रि लगभग 08:30 बजे की है। घटना के समय साक्षी तथा वीरेन्द्र कुशवाहा पल्सर मोटरसाईकल क्रमांक एमपी–19–एनबी–6492 से सेमरिया से सतना की ओर जा रहे थे। घटनास्थल पर तीन लोग एक मोटरसाईकल पर सवार होकर आये और उनके द्वारा बिरसिंहपुर का रास्ता पूंछा गया। साक्षी के द्वारा अपनी मोटरसाईकल की गति धीरे करने पर उक्त तीनों व्यक्तियों के द्वारा साक्षी का पैसा एवं मोबाईल छीनने

SHIRISH SHUKLA
Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:21:40 +0530

का प्रयास किया गया। प्रयास में विफल रहने पर उक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने साक्षी को कट्टा के माध्यम से डराया और दूसरा व्यक्ति साक्षी की मोटरसाईकल लेकर सेमरिया की ओर भाग गया तथा शेष दोनों व्यक्ति अपनी मोटरसाईकल पर भाग गये थे। साक्षी के द्वारा आरक्षी केन्द्र कोटर को दिया गया लिखित आवेदन पत्र प्रपी 1 है। साक्षी के समक्ष घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 2 तैयार किया गया था। उक्त दोनों दस्तावेजों पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर सम्यक रूप से प्रमाणित किये है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्तगण को नही पहचानता है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में यह भी स्वीकार किया है कि जब उसके द्वारा घ टनास्थल का नक्शामौका प्रपी 2 पर हस्ताक्षर किया गया था, उस समय उस पर कुछ नही लिखा हुआ था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरक्षी केन्द्र कोटर के द्वारा उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराया गया था तथा उसमें क्या लिखा था, उसे नही बताया गया था। साक्षी के द्वारा इसी कंडिका में प्रडी 1 की अंतर्वस्तु को अस्वीकार किया गया है।

07. साक्षी वीरेन्द्र कुशवाहा अ.सा.2 का अभिकथन है कि वह अभियुक्तगण को नही पहचानता है। घटना के संबंध में फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 के अभिकथनों का उसके द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। साक्षी ने घटनास्थल के नक्शामौका प्रपी 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है, किन्तु उसकी अन्तर्वस्तु को अस्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा नक्शामौका प्रपी 2 पर आरक्षी केन्द्र में हस्ताक्षर किया गया था और उक्त दस्तावेज को साक्षी को पढकर नही सुनाया गया था तथा साक्षी ने स्वयं भी नही पढा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को घटना के संबंध में कुछ भी नही बताया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्तगण को देखकर भी नही पहचान सकता है।

08. साक्षी चंदन कुशवाहा अ.सा.3 का अभिकथन है कि घटना के समय वह सतना में था और उसे घटना की जानकारी फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 के द्वारा फोन पर दी गई थी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय किस मोटरसाईकल से अपराध किया गया और कौन सी मोटरसाईकल को लूट लिया गया, इसकी कोई जानकारी उसे नही है। साक्षी ने यह भी

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:21:51 +0530

स्वीकार किया है कि सुसंगत समय पर वह घटनास्थल पर नही था और उसे घटना की कोई जानकारी नही है। साक्षी दीपक कुशवाहा अ.सा.4 के द्वारा भी व्यक्त किया गया है कि उसे घटना की जानकारी फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 ने फोन पर दी थी। साक्षी ने भी यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नही था और उसे घटना की कोई जानकारी नही है। उपरोक्त साक्षीगण के अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि उनकी श्रेणी अनुश्रुत साक्षी की है तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार इस श्रेणी के साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नही है।

09. साक्षी मिथलेश द्विवेदी अ.सा.5 का अभिकथन है कि दिनांक 24.03.2023 को आरक्षी केन्द्र कोटर में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसके समक्ष सहायक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र चौबे के द्वारा अभियुक्त नीलेश यादव उर्फ नीलू से न्यायालय परिसर, सतना में पूंछताछ की गई थी और उसका मेमोरेण्डम कथन प्रपी 4 लेखबद्ध किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अन्य कार्य से न्यायालय में आया हुआ था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति यह है कि सहायक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र चौबे के द्वारा प्रपी 4 का कथन कागज पर पेन से लिखा गया था और वह अपने साथ कम्प्यूटर–लैपटॉप लेकर नही आये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन कम्प्यूटर से टाईप नही किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त नीलेश यादव उर्फ नीलू का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 4 टंकित होना दर्शित है तथा उक्त स्थिति साक्षी मिथलेश द्विवेदी अ.सा.5 के अभिकथन के पूर्णतः विपरीत है।

10. साक्षी विपिन द्विवेदी अ.सा.6 का अभिकथन है कि दिनांक 27.04.2023 को आरक्षी केन्द्र कोटर में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसके समक्ष थाना प्रभारी रविन्द्र द्विवेदी के द्वारा कुल 6 अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन प्रपी 5 लगायत प्रपी 10 लेखबद्ध किये गये थे। साक्षी के समक्ष इस प्रकरण से संबंधित मोटरसाईकल की जप्ती प्रपी 11 के माध्यम से की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त दीपनारायण, गोपी उर्फ गौरव सिंह ने अपने अपने मेमोरेण्डम कथन प्रपी 6 एवं प्रपी 9 में क्या कथन किया था, उसे जानकारी नही है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रपी 5 एवं प्रपी 8 पर रविन्द्र द्विवेदी के निर्देश पर हस्ताक्षर किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में यह स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर

SHIRISH SHUKLA

Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:22:02 +0530

अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किये गये है, वहां पर कोई प्रिन्टर नही था और उसे यह भी जानकारी नही है कि मेमोरेण्डम कथन के प्रिन्ट आउट किस स्थान से निकाले गये है।

11. साक्षी वीरेन्द्र चौबे अ.सा.7 का अभिकथन है कि दिनांक 27.04.2023 को आरक्षी केन्द्र कोटर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसके समक्ष थाना प्रभारी रविन्द्र द्विवेदी के द्वारा अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन थाना कोतवाली एवं न्यायालय परिसर में लेखबद्ध किये गये थे। अभियुक्त अभिषेक निषाद का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 5 तथा अन्य अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन प्रपी 6 लगायत प्रपी 10 है। साक्षी के समक्ष इस प्रकरण से संबंधित मोटरसाईकल को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी 11 तैयार किया गया था। उक्त समस्त प्रदर्शित दस्तावेजों पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर सम्यक रूप से प्रमाणित किये है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 08 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त दीपनारायण पाण्डेय का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 6 साक्षी के द्वारा लेखबद्ध किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त दीपनारायण पाण्डेय का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 6 दिनांक 12.06.2023 को थाना प्रभारी, कोटर रविन्द्र द्विवेदी के द्वारा लेख किया गया था तथा साक्षी वीरेन्द्र चौबे ने उक्त कार्यवाही में गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त नीलेश उर्फ नीलू यादव का मेमोरेण्डम कथन उसके समक्ष लेखबद्ध नही किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त राहुल जयसवाल का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 10 उसके द्वारा आरक्षक विपिन द्विवेदी एवं प्रधान आरक्षक मुकेश मांझी की उपस्थिति में लेखबद्ध किया गया था। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि प्रपी 10 से संबंधित प्रिन्ट आउट किस स्थान से लिया गया है, उसे जानकारी नही है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी 10 पर समय हस्तलेख है। यह उल्लेखनीय है कि प्रपी 10 का मेमोरेण्डम कथन भी इस साक्षी की उपस्थिति में रविन्द्र द्विवेदी के द्वारा लेखबद्ध किया गया है। साक्षी के उपरोक्त विरोधाभाषी कथन अभियोजन के इस प्रकरण में एक संदेह उत्पन्न कर रहे है, जो कि अभियोजन के लिए घातक है।

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:22:12 +0530

12. साक्षी मुकेश कुमार मांझी अ.सा.8 का अभिकथन है कि दिनांक 24.03.2023 को आरक्षी केन्द्र कोटर में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसके समक्ष सहायक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र चौबे अ.सा.7 के द्वारा अभियुक्त नीलेश यादव उर्फ नीलू का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 4 लेखबद्ध किया गया था। साक्षी के समक्ष अभियुक्तगण को प्रपी 11 लगायत प्रपी 14 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त राहुल जैसवाल को जिला न्यायालय, सतना में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 13 तैयार किया गया था तथा उक्त प्रपी 13 पर साक्षी ने आरक्षी केन्द्र कोटर में हस्ताक्षर किया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त मनीष सिंह बरगाही को जिला न्यायालय, सतना के परिसर में गिरफ्तार किया गया था तथा उसे केन्द्रीय जेल, सतना अथवा आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली में गिरफ्तार नही किया गया था। अभियुक्त मनीष सिंह बरगाही से संबंधित गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 19 है, जिसके अनुसार अभियुक्त को दिनांक 22.03.2023 को केन्द्रीय जेल, सतना में अभिरक्षा में लिया गया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 07 के अनुसार अभियुक्त नीलेश उर्फ नीलू यादव का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 4 दोपहर लगभग 14:00 बजे सहायक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र चौबे के द्वारा पेन–कागज से लेख किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि प्रपी 4 का मेमोरेण्डम कथन दिनांक 24.03.2023 को 16:00 बजे कम्प्यूटर अथवा लैपटॉप के माध्यम से लेख किया गया है। उपरोक्त विरोधाभाषी तथ्य इस ओर इंगित कर रहे है कि आरक्षी केन्द्र कोटर के पुलिस अधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं संपूर्ण कार्यवाही एक साथ की गई है तथा उक्त कार्यवाहियों पर साक्षीगण के हस्ताक्षर आदि मात्र खानापूर्ति है।

13. साक्षी रविन्द्र द्विवेदी अ.सा.9 का अभिकथन है कि दिनांक 05.03.2023 को आरक्षी केन्द्र कोटर के थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 के द्वारा घटना से संबंधित आवेदन पत्र प्रपी 1 प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र की तस्दीक के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 14 लेखबद्ध की गई। साक्षी के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 2 तैयार किया गया। ततपश्चात साक्षी ने दिनांक 07.03.2023 को संदीप कुशवाहा एवं वीरेन्द्र कुशवाहा के कथन, दिनांक 17.03.2023 को चंदन कुशवाहा एवं दीपक कुशवाहा के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। तत्पश्चात साक्षी ने मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 को

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:22:23 +0530

जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी 11 तैयार किया था तथा साक्षी के द्वारा अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन प्रपी 5 लगायत प्रपी 10 लेखबद्ध किये गये थे।

14. साक्षी रविन्द्र द्विवेदी अ.सा.9 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 09 में यह स्वीकार किया है कि फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 के द्वारा अपने आवेदन पत्र प्रपी 1 में घटना कारित करने वाले व्यक्तियों का कोई विवरण लेखबद्ध नही किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी 1 के सूचना पत्र में कांटछांट है तथा कोई लघु हस्ताक्षर मौजूद नही है। साक्षी ने अभियुक्त गौरव सिंह बरगाही के मेमोरेण्डम कथन प्रपी 9 के संबंध में यह व्यक्त किया है कि उक्त कथन लैपटॉप से टंकित किया गया है। साक्षी ने यह सुझाव अस्वीकार किया है कि प्रपी 9 पर समय पेन से इसलिए लिखा गया है क्योंकि उक्त कथन को थाने में बैठकर तैयार किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में यह व्यक्त किया है कि घटना की तस्दीक के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 14 लेखबद्ध की गई थी, इसलिए उक्त विलंब कारित हुआ है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी 5 एवं प्रपी 8 के मेमोरेण्डम कथन उसके द्वारा स्वयं टंकित नही किये गये है, बल्कि उसके निर्देश पर टंकित किये गये है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रपी 5 लगायत प्रपी 10 के मेमोरेण्डम कथन लेख नही किये गये थे।

15. अभियुक्तगण पर भा.दं.सं. की धारा 392 का आरोप है कि उनके द्वारा घ टना के समय फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 की पल्सर मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 को लूट लिया गया था। यह निर्विवादित है कि घटना के समय फरियादी के साथ वीरेन्द्र कुशवाहा अ.सा.2 मौजूद था। सामान्य नियम के अनुसार अभियुक्तगण को चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा देखा जाना चाहिए और यह भी स्थापित है कि किसी भी घटना का पहला चक्षुदर्शी साक्षी स्वयं फरियादी होता है। फरियादी संदीप कुशवाहा अ.सा.1 तथा चक्षुदर्शी साक्षी वीरेन्द्र कुशवाहा अ.सा.2 के द्वारा अभियुक्तगण की पहचान नही की गई है। हस्तगत प्रकरण के अभिलेख से यह भी दर्शित है कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में शिनाख्तगी कार्यवाही नही की गई है। अब इस संबंध में विधि का नियम यह है कि शिनाख्तगी कार्यवाही किसी भी प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक नही है, किन्तु उक्त कार्यवाही ऐसी स्थिति में

SHIRISH SHUKLA
Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:23:02 +0530

आवश्यक हो जाती है, जब अभियुक्तगण को चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा नही पहचाना जाए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायदृष्टांत Uday Kumar versus State of Tamil Nadu 2023 LawSuit(SC) 259 में यह अवधारित किया गया है कि the entire necessity for holding an investigation parade can arise only when the accused are not previously known to the witnesses. The whole idea of a test identification parade is that witnesses who claim to have seen the culprits at the time of occurence are to identify them from the midst of other persons without any aid or any other source.

16. शिनाख्तगी कार्यवाही के अभाव में यह आवश्यक था कि अभियुक्तगण की पहचान न्यायालय में साक्षीगण से कराई जाए, किन्तु साक्षीगण के द्वारा यह भी स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि वे अभियुक्तगण को नही पहचानते है। इस प्रकार धारा 392 भा.दं.सं. की पहली आवश्यक शर्त, अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित होना, अभियोजन के द्वारा साबित नही की जा सकी है।

17. उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन को हस्तगत विचारणीय बिंदु से संबंधित अपराध प्रमाणित करने के लिए, अभियुक्तगण की पहचान के अतिरिक्त, यह प्रमाणित करना आवश्यक था कि अभियुक्तगण के आधिपत्य से प्रकरण से संबंधित लूटी गई पल्सर मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 की बरामदगी की गई हो। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण ने अपने मेमोरेण्डम कथन प्रपी 4 लगायत प्रपी 10 के माध्यम से घटना में अपनी संलिप्तता को दर्शित किया है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अंतर्गत लेखबद्ध मेमो में मात्र वह तथ्य सुसंगत होता है, जिसके आधार पर किसी वस्तु की बरामदगी की जाती है उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तथ्य के संबंध में ग्राह्यता को अधिनियम की धारा 25 अपवर्जित करती है। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार पुलिस आफीसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना– किसी पुलिस आफीसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त के विरूद्ध साबित न की जाएगी। यह निर्विवादित है कि अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन प्रपी 4 लगायत प्रपी 10 में प्रकरण में लूट की गई मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 के आधिपत्य के संबंध में कोई खुलासा

SHIRISH
SHUKLA
Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:23:13 +0530

नही किया गया है तथा उक्त कथनों की अन्तर्वस्तु 1872 के अधिनियम की धारा 25 के प्रभाव में आकर साक्ष्य में अग्राह्य है।

18. निर्विवादित रूप से पल्सर मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 को आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली के प्रांगण से प्रपी 11 के माध्यम से जप्त किया गया था। उक्त तथ्य यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि उपरोक्त मोटरसाईकल को किसी भी अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त नही किया गया था। अब यदि प्रकरण की विषयवस्तु को अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त करने के तथ्य को अभियोजन साबित नही कर सका है तो उसे अभियुक्तगण की संलिप्तता अन्य माध्यमों से साबित करनी पड़ेगी।

19. अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन प्रपी 4 लगायत प्रपी 10 की अन्तर्वस्तुओं को मेरे द्वारा अग्राह्य माना गया है। इसके अतिरिक्त आरक्षी केन्द्र कोटर के पुलिस अधिकारियों को स्पष्टतः यह जानकारी भी नही है कि उनके समक्ष किस अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किये गये और कथनों को किसके द्वारा लेख किया गया। उपरोक्त स्थिति अभियोजन के प्रकरण में एक युक्तियुक्त संदेह को जन्म दे रही है, जो कि निर्विवादित रूप से अभियोजन के प्रकरण को दूषित कर रहा है। प्रपी 6 लगायत प्रपी 10 के टंकित कथनों पर पृथक से नीली स्याही के माध्यम से समय का लिखा जाना और इसके संबंध में कोई भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण का अभिलेख पर प्रस्तुत नही किया जाना भी अभियोजन के प्रकरण को दूषित कर रहा है।

20. अभियोजन के प्रकरण को यह तथ्य भी दूषित कर रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 14 को दो दिन के विलंब से लेखबद्ध किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि अन्वेषण अधिकारी रविन्द्र द्विवेदी अ.सा.9 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में उक्त विलंब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, किन्तु सुसंगत स्थान अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 14 के सरल क्रमांक 8 के समक्ष विलंब का कोई भी विवरण अंकित नही किया गया है। उक्त स्थिति से यह दर्शित है कि आरक्षी केन्द्र कोटर के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 14 को लेखबद्ध करने में कोई विलंब कारित नही हुआ है और यदि यह स्थिति है तो अन्वेषण अधिकारी रविन्द्र द्विवेदी अ.सा.9 के द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई औचित्य नही है। कुल मिलाकर

SHIRISH SHUKLA Digitally signed by SHIRISH SHUKLA Date: 2024.01.31 13:23:24 +0530

उपरोक्त स्थिति भी अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करते हुए पूर्णतः ध्वस्त कर रही है।

21. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर मेरा यह मत है कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 392 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नही किया जा सका है।

विचारणीय बिंदु कमांक 2 —

22. विचारणीय बिंदु कमांक 1 के निष्कर्ष में यह पाया गया है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर धारा 392 भा.दं.सं. का आरोप साबित नही कर सका है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाईकल कमांक एमपी 19 एनबी 6492 की नंबर प्लेट को बदलकर साक्ष्य विलोपित की गई तथा उसके मिथ्या होने का अभियुक्तगण को ज्ञान अथवा विश्वास था। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य को साबित करने के लिए यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि या तो अभियुक्तगण को आरोपित कृत्य करते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया हो अथवा अभियुक्तगण आधिपत्य से आरोपित अपराध से संबंधित वस्तुओं की जप्ती प्रमाणित हो जाए।

23. निर्विवादित रूप से अभियोजन साक्षीगण के द्वारा हस्तगत विचारणीय बिंदु से संबंधित कोई भी साक्ष्य नही दी गई है। यद्यपि अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम प्रपी 4 लगायत प्रपी 10 में हस्तगत आरोप से संबंधित तथ्य का उल्लेख मिलता है, किन्तु उपरोक्त प्रदर्शित दस्तावेजों को 1872 के अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पूर्व में ही अग्राह्य माना जा चुका है। अब इस स्थिति में अभियोजन के पक्ष समर्थन में हस्तगत विचारणीय बिंदु से संबंधित कोई भी साक्ष्य शेष नही है। आरोप के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा जिस रजिस्ट्रेशन प्लेट को तोड़ा गया, उसकी बरामदगी नही की गई और अभिलेख पर यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध के संबंध में अभियोजन के पास ऐसा क्या प्रमाण है, जिसके आधार पर उनका कृत्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो रहा हो। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन भा.दं. सं. की धारा 201 के अंतर्गत आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:23:36 +0530

विचारणीय बिंदु कमांक 3 –

24. अभियुक्तगण पर भा.दं.सं. की धारा 120 ख का इस आशय का आरोप है कि उनके द्वारा लूट कारित करने के आशय से, उक्त अपराध को सुकर बनाने के लिए, आपराधिक षड़यंत्र किया गया है। निर्विवादित रूप से आपराधिक षड़यंत्र का तथ्य एक मनोस्थिति है, जिसका भौतिक प्रमाण संभव नही है। आपराधिक षड़यंत्र को साबित करने के लिए अभियोजन को यह दर्शित किया जाना चाहिए था कि अभियुक्तगण के मध्य अपराध कारित करने के लिए किये गये षड़यंत्र का प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायदृष्टांत V C Shukla; Sanjay Gandhi versus State of Delhi 1980 LawSuit(SC) 190 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "in order to prove a criminal conspiracy which is punishable under section 120-B of the Indian Penal Code, there must be direct and circumstantial evidence to show that there was an agreement between two or more persons to commit an offence. this clearly envisages that there must be a meeting of minds resulting in an ultimate decision taken by the conspirators regarding the commission of an offence. It is true that in most cases it will be difficult to get direct evidence of an agreement to conspire but a conspiracy can be inferred even from circumstances giving rise to a conclusive or irresistible inference of an agreement between two or more persosn to commit an offence."

25. आपराधिक षड़यंत्र के अपराध को प्रमाणित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत Kehar Singh versus State of Delhi 1988 LawSuit(SC) 452 में मार्गदर्शित किया है, जिसका सुसंगत अंश निम्नानुसार है–

254. It will be thus seen that the most important ingredient of the offence of conspiracy is the agreement between two or more persons to do an illegal act. The illegal act may or amy not be done in pursuance of agreement, bill the very agreement is an offence and is punishable. References to Section 120-A and 120-B IPC would make these aspects clear

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:23:47 +0530

beyond doubt. entering into an agreement by two or more persons to do an illegal act or legal act by illegal means is the very quintessence of the offence of conspiracy."

26. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के मध्य आपराधिक षड़यंत्र को भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नही किया जा सका है।

<u>//अंतिम आदेश//</u>

विचारणीय बिंदु कमांक 4 –

27. दाण्डिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त का दोष अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, तथा उसके अभाव में अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। किसी भी आपराधिक प्रकरण में जब संदेह का जन्म होता है तब उस संदेह का लाभ प्राप्त करने का अभियुक्त स्वमेव ही अधिकारी बन जाता है। संदेह के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नवीनतम न्यायदृष्टांत State of Odisha versus Banabihari Mohapatra and Another 2021 SCC OnLine SC 121 में यह प्रतिपादित किया गया कि It is well settled by a plethora of judicial pronouncement of this Court that suspicion, however strong cannot take the place of proof. An accused is presumed to be innocent unless proved guilty beyond resonable doubt. हस्तगत प्रकरण में भी उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायसंगत है।

28. जब प्रकरण सीधे प्रमाण की अनुपस्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है तो उस स्थिति में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समस्त परिस्थितियां एक–दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होनी चाहिए कि वे अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को साबित कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत Parubai versus State of Maharashtra 2021 LawSuit (SC) 415 में यह

SHIRISH SHUKLA
Digitally signed by SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31 13:23:59 +0530

प्रतिपादित किया गया है कि mere suspicion would not be sufficient, unless the circumstantial evidence tendered by the prosecution leads to the conclusion that it "must be true" and not "may be true". In the case of circumastantial evidence, two views are possible on the case of record, one pointing to the guilt of the accused and the other his innocence. The accused is indeed entitled to have the benefit of one which is favourable to him.

29. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना तथा विचारणीय बिंदुओं पर प्राप्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया जा सका है। फलतः अभियुक्त शिवम सरोज उर्फ पोनू, अभिषेक निषाद, दीपनारायण पाण्डेय, मनीष सिंह बरगाही, गौरव सिंह बरगाही, राहुल जैसवाल एवं नीलेश यादव उर्फ नीलू को भा.दं.सं. की धारा 392, 201 एवं 120 ख के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र** घोषित किया जाता है।

30. अभियुक्तगण के बंधपत्र एवं मुचलके उन्मोचित किये जाते है।

31. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 19 एनबी 6492 दिनांक 09.05.2023 से उसके स्वामी संदीप कुशवाहा तनय श्री श्यामसुन्दर कुशवाहा की अंतरिम सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि के अवसान के पश्चात, अपील नही होने की दशा में उक्त सुपुर्दगीनामा उन्मोचित समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

32. यह प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त मनीष सिंह बरगाही, दीपनारायण पाण्डेय, राहुल जैसवाल एवं गौरव सिंह बरगाही इस प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान दिनांक 22.03.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 315 दिन अभिरक्षा में रहे है। इसी प्रकार अभियुक्त अभिषेक निषाद तथा शिवम सरोज उर्फ पोनू इस प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान दिनांक 12.06.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 233 दिन अभिरक्षा में रहे है। इसी प्रकार अभियुक्त नीलेश यादव उर्फ नीलू इस प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान दिनांक 24.03.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक कुल 313 दिन अभिरक्षा में रहा है। उक्त

SHIRISH
SHUKLA

Digitally signed by
SHIRISH SHUKLA
Date: 2024.01.31
13:24:20 +0530

आशय का प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. पृथक से तैयार किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

सतना
दिनांक 31.01.2024 **मेरे आलेख पर टंकित**

SHIRISH SHUKLA Digitally signed by SHIRISH SHUKLA Date: 2024.01.31 13:24:38 +0530

(शिरीष शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सतना म.प्र.